राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.4(ई)/538/92/अलेसे—III/ 1116 दिनांकः— 2/3/2017

कार्यालय आदेश

श्री गोविन्द राम तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोष सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) को निदेशालय के आदेश क्रमांक 12545—53 दिनांक 09.05.2001 द्वारा थानाधिकारी बिच्छीवाडा के द्वारा दिनांक 22.04.2001 को गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण, गिरफ्तारी की दिनांक 22.04.2001 से निलम्बित किया गया था।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 25846—54 दिनांक 01.10.2001 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से श्री गोविन्द राम को निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय इनके विरूद्ध चल रही विभागीय जांच पूर्ण होने के पश्चात किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया।

उक्त प्रकरण में श्री गोविन्दराम कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/2000 के आधार पर पुलिस थाना बिच्छीवाडा, डूंगरपुर में दर्ज न्यायिक प्रकरण सं. 262/14 रे. फौ. (CIS No- 1622/14) में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निर्णय पारित कर श्री गोविन्दराम क.ले. को अपराध अन्तर्गत 409,467,468,471,120 बी भा.द.स. के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बिच्छीवाडा, (डूंगरपुर) ने अपने पत्र क्रमांक 3863 दिनांक 13.12.2016 द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अपील नही किये जाने से अवगत करवाया है तथा विभागीय स्तर भी श्री गोविन्द राम कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित नही है।

अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.8.2016 की अनुपालना में श्री गोविन्द राम की निलम्बन अवधि 22.04.2001 से 01.10.2001 को समस्त प्रयोजनार्थ सेवा काल मानने एवं उक्त अवधि के वेतन भत्तो (निर्वाह भत्ता घटाकर) के भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः— एफ.4(ई)/538/92/अलेसे—III/ 1116 दिनांकः— 2/3/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, डूंगरपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिच्छीवाडा, डूंगरपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर।
5. उपकोषाधिकारी, सांगानेर, जयपुर।
6. श्री गोविन्द राम, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोष सांगानेर, जयपुर।
7. ए.सी.पी. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक—III)